न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/4333/2003/कोटा

1 बंशीलाल उर्फ बंशी दास पुत्र गेंदीदास उर्फ गेंदीलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

2. राजेश कुमार यादव
3. ब्रजेश कुमार यादव

निवासी ग्राम केवल नगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1 मोतीलाल आत्मज धूली लालजी उर्फ दूलिया जी जाति बंजारा निवासी कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थित
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 31.5.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5-3-03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पचपहाड तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नंबर 460 की 10 बीघा व खसरा नंबर 461 की 5 बीघा कुल 15 बीघा भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 बंशीलाल को भू आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 14-5-76 को नियमानुसार आवंटित की गई और भूमि पर कब्जा दिया गया उक्त भूमि के नये खसरा नंबर 528/585 रकबा 2.40 हेक्टेयर बने । आवंटन के बाद से अपीलाण्ट को लगातार काश्त करने व आवंटी की शर्तो की पूरी पालना करने के कारण तथा आवंटन का 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने के कारण अपीलाण्ट संख्या 1 को भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर उसकी पालना में नामान्तरकरण सख्या 116 तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए अपीलण्ट संख्या 1 का नाम बैहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया । खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपीलाण्ट संख्या 1 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1-3-97 से उक्त भूमि अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 राजेश कुमार यादव व बृजेश कुमार यादव को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया तभी से आज तक अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 उक्त भूमि पर बहैसियत खरीददार व खातेदार काबिज हो गए व उनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 20-7-97 से भूमि अपीलाण्ट क्रम 2 व 3 के खाते में दर्ज की जा चुकी है । अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 द्वारा भूमि ,खरीदने के उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मोतीलाल व उसके भ्राता मग्गा, दल्ला व मोहन द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में मजाहमत करने का प्रयास करने पर अपीलाण्ट क्रम 2 व 3 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, कोटा मे दिनांक 8-10-90 को रेस्पोडेण्ट मोती तथा उसके भाई मग्गा, दल्ला व मोहन के खिलाफ एक बाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया । उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जिसमें रेस्पोडेण्ट भी पक्षकार था, ने न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, कोटा उपस्थिति दी तथा दिनांक 19-11-99 को अपनी ओर अभिभाषक नियुक्त कर वकालतनामा पेश किया । उक्त वाद का क्षेत्राधिकार

परिवर्तन होने के कारण उपखण्ड अधिकारी, कोटा में अन्तरित होकर प्राप्त हुआ। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष भी रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी उपस्थित हुए । न्यायालय द्वारा बार बार समय दिए जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा जबावदावा पेश नहीं करने के कारण प्रतिवादीगण का जबावदावा बन्द कर शहादत पक्षकारान की बहस समायत कर उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 24-2-03 को वादीगण के पक्ष में डिक्री पारित कर दी गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाण्ट संख्या 1 के विरूद्ध उक्त आवंटन को निरस्त करवाने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 को नोटिस दिए बिना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना रेस्पोडेण्ट संख्या 11 द्वारा पेश की गई अपील को मंजूर करते हुए अपीलाण्ट संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार किए गए आवंटन को निरस्त करने का आदेश दिनांक 5-3-03 को पारित कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 5-3-03 में यह माना है कि रेस्पोडेण्ट नं0 1 ने आवंटन के लिए जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उसमें ग्राम रानक्याखेडी की 249 व 222 खसरा नंबर की भूमि आवंटन चाहा था । आवेदन पत्र ग्राम पचपहाड की खसरा नंबर 460 रकबा 10 बीघा व खसरा नंबर 461 रकबा 5 बीघा कुल 15 बीघा का आवंटन किया गया है अतः पाया जाता है कि जो भूमि आवंटित की गई है उसके लिए आवंटी ने आवेदन ही नहीं किया । रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवंटी के पक्ष में न तो दखलनामा है न ही आवंटी के गैर खातेदार दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । इस आराजी पर अपीलण्ट का बतौर अतिक्रमण कब्जा रहा है परन्तु राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से कोई अधिकार अतिक्रमी को प्राप्त नहीं होते हैं । इस प्रकार अपीलाण्ट का भूमि पर

आवंटन/नियमन बाबत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । इस प्रकार आवंटी के पक्ष में आवंटन भी नियमानुकूल होना नहीं पाया जाता है । चूंकि अपील देरी से प्रस्तुत की गई है । अतः देरी को क्षम्य करते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है आवंटन आदेश दिनांक 14-5-76 निरस्त किया जाता है भविष्य में इस भूमि का आवंटन/नियमन किए जाने के समय अपीलाण्ट के पक्ष को भी सुना जाकर कमेटी द्वारा पात्र व्यक्ति को ही आवंटन/नियमन किया जावे ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 बोनाफाईड केता है तथा भूमि के खातेदार है एवं भूमि पर काबिज है अपील से अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए अपीलाण्ट संख्या 2 व3 उक्त आदेश से एग्रीव्ड पर्सन होने से अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 को अपीलाण्ट पेश करने की अनुमति दी जावे । अपीलाण्ट संख्या 1 को आवंटित की गई भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं रहा और न ही वादग्रस्त जमीन पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेज राजस्व अभिलेख या अन्य शहादत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई । इसके उपरांत भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य या दस्तावेज के भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के कब्जे में होना मानकर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को यह पूर्णतया जानकारी में था कि अपीलाण्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद अपीलाण्ट संख्या 1 को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1-3-97 को अपीलाण्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी है जो उनके खातेदारी व कब्जे में है तथा अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पोडेण्ट

संख्या 1 के एवं उसके अन्य भाईयों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में दावा पेश किया जा चुका है । इस तथ्य को न्यायालय से छिपाया जाकर रेस्पोडेण्ट ने अपील में आदेश प्राप्त किया जो निरस्तनीय है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वक्त आवंटन नाबालिग था इसलिए उसका भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है । राजस्व अपील अपील प्राधिकारी ने करीब 25 वर्ष मियाद बाहर अपील को बिना किसी कानूनी प्रावधानों पर विचार किए मात्र अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के कथन पर विश्वास कर आवंटन खारिज करने में त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है । अपीलाण्ट को नोटिस दिए बिना व सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपील में आदेश पारित करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है ।

उनका कथन है कि आवंटी ग्राम पचपहाड की खसरा नंबर 460 रकबा 10 बीघा व खसरा नंबर 461 रकबा 5 बीघा कुल 15 बीघा का आवंटन दिनांक 14-6-76 को किया गया है । इसके नये नंबर 528/585 रकबा 2.40 हेक्टेयर बने है । आवंटी को आवंटन की शर्तो की पालना करने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाकर नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 13-6-95 को खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिए है । खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटी ने जरिए रजिस्टर्ड सेलडीड से अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 को भूमि का बेचान किया है एवं भूमि के बेचान होने बाद यह भूमि अपीलण्ट संख्या 2 व 3 के खाते में दर्ज कर दी गई । इस विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 2 व उसके भाईयों द्वारा नाजायज कब्जा करने का प्रयास करने पर उनके द्वारा सहायक कलेक्टर, कोटा के यहां दावा पेश किया जो दिनांक 24-2-03 को डिक्री किया गया । अप्रार्थी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427, 447 का मुकदमा दर्ज भी करवाया गया जिसमें उनके खिलाफ चालान पेश किया गया । वर्ष 1976 में किए गए आवंटन की अपील वर्ष 2002 में राजस्व अपील प्रधिकारी के न्यायालय में

की गई जिसमें केवल आवंटी को ही पक्षकार बनाया गया भूमि के क्रेतागण वर्तमान अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 को पक्षकार ही नहीं बनाया गया । अपीलाण्ट को इसकी सूचना ही नहीं दी गई । धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए प्रार्थना–पत्र में झूठे तथ्य अंकित किए थे कि उन्हें आवंटन की जानकारी नहीं थी जब कि उन्हें इसकी पूर्ण जानकारी थी । खसरा गिरदावरी को प्रस्तुत कर वह अपना कब्जा दिखाने का प्रयास कर रहा है वह अन्य खसरा नंबर है । हाल खसरा नबर 528/585 का कोई दस्तावेज नही है । विवादित आराजीयात वर्ष 1976 से आवंटी की गैर खातेदारी में दर्ज हो गई । जिससे वह अप्रार्थी के नाम खसरा परिवर्तनशील में दर्ज नहीं की जा सकती थी । आवंटित भूमि पर कभी भी उनका कब्जा काश्त नहीं रहा है। पटवारी हल्का के बयानों से भी कब्जा काश्त आवंटी/अपीलाण्ट का ही है । जमानती मुचलके जो पेश किए गए है उसमें वर्ष 99 में मोतीलाल की उम्र 40 वर्ष बतायी गई है तो 1976 में उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष बनती है तो यह नहीं माना जा सकता कि 7 वर्ष का बालक काश्त कर सकता है । दावा डिक्री होने के बाद आवंटन के विरूद्ध अपील पेश की गई है जिसमें समस्त तथ्यों को छिपाया गया है यदि उन्हें कोई आपत्ति थी तो उनहें डिक्री को चुनौती दी जानी चाहिए थी । आवंटी को पक्षकार बनाया गया है जब कि वे तो इस भूमि का बेचान कर चुके थे । इसकी जानकारी इन्हें पूर्ण रूप से थी। इनकी गिरफ्तारी भी हुई है जमानती मुचलका पेश किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी तथ्यों के आधार पर डिले कन्डोन करवाया गया है जब कि इन्हें जानकारी पूर्ण रूप से थी । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बोनाफाईड परसन को रिलीफ दी जा सकती है किन्तु झूठे व्यक्ति को किसी प्रकार की रिलीफ नहीं दी जा सकती है ।

क्रेतागण को बिना सुने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता है । आवंटन के समय जब अप्रार्थी ने काई प्रार्थना–पत्र ही नहीं दिया था तो

उसे आवंटन कैसे किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । अपील को मियाद बाहर मानते हुए मियाद के बिन्दु पर खारिज करना चाहिए था । अपीलाण्ट सद्भावी केतागण है। अतः इतने वर्षो बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का आदेश निरस्त कर आवंटी के आवंटन को बहाल रखकर अपील स्वीकार की जावे । उन्होने अपने कथन के समर्थन में 2009(1) आर.आर.टी. पेज 432, 2009-10(1) आर.आर.टी. पेज 535, 2008(2) आर.आर.टी. पेज 834, 2001(2) आर.आर.टी. पेज 999, 926 2007(2) आर.आर.टी. पेज 1194, 1992 आर.आर.डी. पेज 9, 2003(4) आर.एल.डब्ल्यू 509 न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।

5. रेस्पोडेण्ट के अभिभाषक ने बहस के जबाव में बताया कि अपीलाण्ट ने आवंटन फ्राड तथ्यों के आधार पर करवाया है । आवंटी रानक्याखेडी का निवासी नही है प्रार्थना-पत्र में ओवरराईटिंग की गई है वह केवल नगर अलानिया में रहता है काश्तकार नहीं है बल्कि किराने की दुकान करता है उसे किसी प्रकार का कब्जा नही मिला आवंटन ही गलत है तथा केतागण को आवंटी से अच्छे अधिकार नहीं मिल सकते । संवत 2057 में यह भूमि सिवाय चक भूमि है । कब्जा आवंटी का नहीं है । केतागण के द्वारा आवंटित भूमि से ज्यादा पर कब्जा कर रखा है । आवंटी बंशीलाल को नोटिस भी तामील करवाए है उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है उसके द्वारा कोई जबाव ही नहीं दिया गया । सही तथ्य पेश करके ही आवंटन करवाना चाहिए था । बंशीलाल को पूर्ण जानकारी थी आदेश होने के बाद मियाद बाहर अपील पेश की गई है । राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 5-3-03 के आदेश के बाद दिनांक 18-8-03 को लगभग 5माह बाद पेश की गई । आवंटित भूमि की उद्घोषणा ही जारी नहीं हुई है । फ्राड से आवंटन करवाया गया है । आंवटी को भूमि पर कभी देखा ही नहीं है जबकि उसका कब्जा ही

नहीं था तो उसे खातेदारी कैसे मिल सकती थी । कब्जा आवंटी का था तो धारा 188 के तहत दावा की क्या आवश्यकता थी । दस्तावेज जो दिनांक 27–11–17 को पेश किए गए है इसको बैंच ने रिकार्ड पर नहीं लिया है ऐसे दस्तोवज की की कोई अहमियतता नहीं है। अतः अपील खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश बहाल रखा जावे। उन्होने अपने कथन के समर्थन में 2012(1) आर.आर.टी. पेज 569, 572, 1993 आर.आर.डी पेज 44 सी से 47, 1995 आर.आर.डी. 296 से 299, आर.बी.जे. 2012 पेज 686 से 688, 1994 आर.आर.डी पेज 692 से 693, 1990 आर.आर.डी पेज 364 से 369 न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।

6. प्रतिउत्तर में अपीलाण्ट के अभिभाषक ने बहस में बताया कि दिनांक 14–11–17 को बहस हुई थी एवं 15 दिवस में दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए थे जिससे दिए गए आदेशों की पालना में ही दिनांक 27–11–17 को दस्तावेज पेश किए गए । ये दस्तावेज न्यायालय के आदेश की पालना में ही पेश किए गए है । खसरा नंबर 528/585/630 रकबा 1.09 हेक्टेयर भूमि अलग एवं आवंटि भूमि 528/585 भूमि अलग है केवल नगर कोई गाँव अंकित नहीं है फैक्ट्री बनने पर उसका नाम केवल नगर कहा जाने लगा है जब अप्रार्थी के द्वारा कोई प्रार्थना–पत्र ही पेश नहीं किया है तो भूमि कैसे आवंटित करते । भूमि का आवंटन होने के पश्चात जांच होने के बाद ही आवंटी को खातदोरी अधिकार दिए गए है । भूमि खातेदारी में आने से वे सरकारी जमीन नहीं रह गई थी । जमाबन्दी में आवंटी का नाम बतौर खातेदारी काश्तकार दर्ज रहा है । अप्रार्थी को डिक्री के खिलाफ अपील पेश नहीं करनी चाहिए थी यदि उनका कब्जा इस भूमि पर होता है तो भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर उसे सजा क्यों होती । इस निर्णय के खिलाफ अपील में अपीलाण्ट बोनाफाईड केता है उनके द्वारा 96 का प्रार्थना–पत्र पेश

किया है उन्हें खसरा नंबर 528/585/630 से कोई लेना देना नहीं है । प–14 में खसरा नंबर 527 का कब्जा है जो इनके द्वारा प्रस्तुत किया है ।

7. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

8. जो प्रार्थना–पत्र आवंटी के द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसमें रानक्याखेडी की भूमि खसरा नंबर 249 की 10 बीघा व खसरा नंबर 222 की 5 बीघा आवंटन हेतु निवेदन किया गया था किन्तु आवंटन कमेटी के द्वारा ग्राम पचपहाड की खसरा नंबर 460 रकबा 10 बीघा व खसरा नंबर 461 रकबा 5 बीघा कुल 15 बीघा का आवंटन किया गया है। आवंटी के द्वारा स्वयं को रानक्याखेडी का निवासी होना बताया है । दिनांक 14–5–76 को ही इस भूमि का पट्टा उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जारी किया गया । मिलान क्षेत्रफल से भी इस भूमि के नये नंबर 528 बनाये गए है । जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 में खसरा नंबर 528/585 रकबा 2.40 गैर खातेदार के रूप में दर्ज है । इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2053–56 में आवंटी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया हुआ है और इसी जमाबन्दी में यह नोट अंकित है कि भूमि का बेचान नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 20–7–97 से आवंटी के स्थान पर केता राजेश कुमार, बृजेश कुमार पुत्र महावीर सिंह यादव सा0 केवलनगर के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए है । उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24–2–03 में आराजी खसरा नंबर 528/585 रकबा 2.40 हेक्टेयर पर अप्रार्थी एवं उसके भाईयों को किसी प्रकार मजाहमद मदाखलत कब्जा नहीं करने का आदेश दिए है । प्रथम सूचना रिपोर्ट जो केतागण के द्वारा अप्रार्थीगण व उसके भाईयों के खिलाफ अपराधिक मामला धारा 427 , 447 का दर्ज करवाया है उसकी प्रति भी पेश की गई। आरोप सांराश जिसमें अप्रार्थी को आरोप पर सारांश सुना गया कि उन्होंने

परिवादी के कब्जे एवं स्वामित्व के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया एवं परिवादी के खेत की दीवार(कोट) को तोडकर रिष्टी कारित की । एतद्दारा आपका उक्त कृत्य धारा 447, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध है । आवंटन पत्रावली के साथ जो आवेदन पत्र की जांच की जाती है उसके कालम संख्या 4 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी उसी गॉँव का निवासी है जिसमें यह भूमि है किन्तु कालम संख्या 10 में अंकित है कि प्रार्थी जिस गॉव की भूमि 5 मील के अन्दर के क्षेत्र का निवासी है । इसी प्रकार इसके कॉलम संख्या 14 में यह स्पष्ट अंकित हे कि प्रार्थी गैर खातेदार की तरह भूमि पर दूसरे की जमीन जोत रहा है । । खसरा परिवर्तनशील 2057 में खसरा नंबर 528/585/630 के द्वारा 1.09 हेक्टेयर पर ज्वार की काश्त किया जाना अंकित किया है। पटवारी हल्का द्वारा जो नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है उसमें खसरा नंबर 528/585 को अलग दर्ज किया गया है एवं इसी के पास में खसरा नंबर 528/585/630 के नोट दर्ज किए है । खसरा गिरदावरी संवत 2057 में खसरा नंबर 528/585 में रकबा 2.40 हेक्टेयर अपीलाण्ट राजेश कुमार एवं बृजेश कुमार का नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 528/585/630 रकबा 1.09 हेक्टेयर पर ज्वार की फसल किया जाना बतौर काश्तकार अंकित है । संवत 2053 की खसरा परिवर्तनशील में खसरा नंबर 527 पर अप्रार्थी मोतीलाल वल्द घूल्या बंजारा दर्ज है । इसी प्रकार संवत 2054 में खसरा नंबर 527 पर अप्रार्थी मोतीलाल वल्द घूल्या बंजारा दर्ज है ।अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अप्रार्थी एवं अन्य को भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर निर्देश दिए गए कि प्रत्येक अभियुक्तगण बीस–बीस हजार रूपये की जमानते एवं इसी राशि के स्वयं के मुचलके दो वर्ष की अवधि हेतु न्यायालय में इस आशय के पेश कर तस्दीक करवायें कि वे उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे

परिशांति बनाये रखेंगे एवं न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर सजा हेतु उपस्थित होंगे ।

9. यहाँ हमें मुख्यतः देखना है कि आवंटी को जो आवंटन किया गया है वे विधिसम्मत है अथवा नहीं । क्या यह आवंटन फ्रॉड रिप्रजेन्टेशन के द्वारा करवाया गया है । अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 5-3-03 में यही माना है कि आवेदन पत्र पर जांच व रिकार्ड का अभाव है। तो जो भूमि आवंटित की गई उसके लिए आवेदन ही नहीं किया है । दूसरे गांव का निवासी है उसे अन्य गाँव की भूमि दी हुई है । आवंटी के पक्ष में कोई दखलनामा नहीं है उन्होंने गैर खातेदारी दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

10. जहां तक आवंटन का फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन द्वारा करवाया जाना बताया है उसमें जिला कलेक्टर कोटा के जो आवंटन की पत्रावली प्राप्त हुई है उससे यह स्पष्ट है कि आवंटी ने रानक्याखेडा के खसरा नंबर 249 व 222 की भूमि चाही थी किन्तु आवंटन कमेटी के द्वारा उसे ग्राम पचपहाड के खसरा नंबर 460 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नंबर 461 रकबा 5 बीघा कुल 15 बीघा का आवंटन किया गया । आवेदन पत्र के साथ जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उससे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी उसी गॉव का निवासी नहीं है उसमें यह भूमि है किन्तु इसमें यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी कि जिस गाँव की भूमि है उसके 5 मील के अन्दर का निवासी है प्रार्थी को भूमिविहिन होकर दूसरों की जमीन को जोतना बताया है । जिससे यह माना जा सकता है कि आवंटी के द्वारा तथ्यों को छिपाकर एवं फ्रॉड एवं मिस रिजप्रजेन्टेशन से आवंटन नहीं कराया है जब आवंटन कमेटी यह उचित समझती है कि उसे जो भूमि उसके द्वारा चाही जा रही है वह भूमि नहीं दी जाकर अन्य भूमि का आवंटन किया जाता है तो इसमें आवंटी की कोई गलती नहीं है । यह आवंटन कमेटी के

निर्णय पर निर्भर करता है कि आवंटी को कौनसी भूमि दी जावे । फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन का मामला तब बनता है जब प्रार्थी ने कोई तथ्य छिपाकर के आवंटन करवाया हो ।

11. जहां तक आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज होने का प्रश्न है जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि उसे सर्वप्रथम गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं गैर खातेदारी दर्ज के बाद आवंटन की शर्तो की पालना के बाद उसे खातेदारी अधिकार दिए गए और खातेदारी अधिकार दिए जाने के बाद उसने भूमि का बेचान अपीलाण्ट को किया है । अप्रार्थी के द्वारा आवंटन के समय कोई आवेदन पत्र दिया हो तो ऐसा भी तथ्य इस पत्रावली में स्पष्ट नहीं होता है कि जिससे इसकी जांच की जा सके कि आवंटन के समय प्राथमिकता आवंटी की बनती थी या अप्रार्थी की बनती थी । केवल मात्र अतिक्रमण किए जाने से किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल पाते हैं । आवेदन पत्र वर्ष 1976 में दिया गया था एवं उसकी अपील 26 वर्षो बाद की गई है । जब कि इस आवंटन की एवं भूमि के विक्रय की उन्हें पूर्ण जानकारी थी । अप्रार्थी की हैसियत मात्र एक ट्रेसपासर की है । ट्रेसपासर को किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है । स्वयं अपीलीय न्यायालय ने भी यही माना है कि राजकीय भूमि का अतिक्रमण किए जाने से किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल पाते हैं बल्कि आवंटन के समय अतिक्रमित की गई भूमि आवंटन के योग्य माना गया है जिससे अतिक्रमी का भूमि आवंटन/नियमन के बाबत तर्क स्वीकार योग्य नही है । । यदि वे अपनी पात्रता समझते थे तो वे निवेदन करने के लिए स्वतत्रं थे। आवंटी आवंटन के लिए पात्रता क्यों नहीं रखता है यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है । सम्पूर्ण रिकार्ड से आवंटित भूमि का आवंटी का कब्जा साबित होता है । किन्तु अपीलीय न्यायालय ने यह मानने मे कानूनी त्रुटि की है कि आवंटी का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है और किया गया आंवटन नियमानुकूल क्यों नहीं है यह स्पष्ट नहीं किया गया है । अतः राजस्व

अपील प्राधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप की गुजांईश रहती है ।

12. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार करते राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5-3-2003 निरस्त करते हुए आवंटी का आवंटन बहाल रखने के आदेश दिए जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य